छ.ग.राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वा0चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक 4195 /छगदुमसं/प्रशासन/2023 **उरला, दिनांकः 19/01/2023**

।। प्रपत्र– सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा सूचना।।

सहपत्रों की सूचीः–

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक	पृष्ठ संख्या
01.	समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा	1	1
02.	सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा शेड्यूल	2	1
03.	निविदा के नियम एवं शर्तो की जानकारी	3––8	6
04.	टेण्डर फार्म	9––12	4
05.	सुरक्षा व्यवस्था हेतु अनुबंध	13––17	5
06.	काली सूची में न होने का शपथ पत्र (अनुसूची–1)	18	1
07.	निकट संबंधी न होने का शपथ पत्र (अनुसूची–2)	19	1
	कुल सहपत्र		19

छ.ग.राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वा0चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक 4195 /छगदुमसं/प्रशासन/2023 **उरला, दिनांकः 19/01/2023**

//01 वर्ष हेतु सुरक्षा व्यवस्था निविदा सूचना//

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, उरला–दुर्ग एवं दुग्ध संयंत्र बिलासपुर में क्रमशः 18 एवं 5 कुल 23 सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता है। भरी निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 20–02–2023 अपरान्ह् 12:30 बजे तक निर्धारित हुई है।

निविदा का विस्तृत विवरण एवं निविदा प्रपत्र महासंघ की वेबसाईट– **www.cgcoopdairyfed.in** पर उपलब्ध है।

प्रबन्ध संचालक

छ.ग.राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वा0चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक 4195 /छगदुमसं/प्रशासन/2023 **उरला, दिनांकः 19/01/2023**

।। शेड्यूल– सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा ।।

1.	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की विधि	निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की वेबसाइट www.cgcoopdairyfed.in से दिनांक 25–01–2023 से डाउनलोड किया जा सकेगा।
2.	निविदा जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 20–02–2023 दोपहर 12:30 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत पोस्ट द्वारा निम्न पते पर प्राप्त हुई निविदाएं ही शामिल की जावेंगी :– **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, कार्यालय क्रमांक 1 प्रथम तल,** **शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्यूदय) परिसर,** **नगर घड़ी चौक रायपुर (छ.ग.)** **पिन : 492001**
3.	निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 20–02–2023 दोपहर 3:00 बजे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ग्राम–उरला–बी0एम0वाय0 चरोदा, जिला : दुर्ग (छ0ग0) पिन : 490025, कार्मिक एवं प्रशासन शाखा
4.	निविदा खोलने की प्रक्रिया	➢ सर्वप्रथम बड़ा लिफाफा "C" खोल कर लिफाफा "A" ,"B" प्राप्त किया जावेगा। ➢ लिफाफा "A" को खोलकर निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि, सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित दस्तावेज एवं आधार–पेन कार्ड की जॉच की जावेगी। निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि एवं संपूर्ण दस्तावेज सही होने पर ही भाव पत्र का लिफाफा, "B" खोला जावेगा।
5.	निविदा प्रपत्र शुल्क	**1–** निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1,000/– का डिमांड ड्राफ्ट जो **"छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित" (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)** को रायपुर में देय हो संलग्न करना होगा। **2–** निविदा प्रपत्र दुग्ध महासंघ की वेबसाइट **www.cgcoopdairyfed.in** से डाउनलोड किया जाना होगा।
6.	निविदा धरोहर राशि	धरोहर राशि रू. 20,000/– का डिमांड ड्राफ्ट जो **"छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित" (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)** को रायपुर में देय हो संलग्न करना होगा।

नोट :– निविदा प्राप्ति एवं खोलने की तिथि में किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने पर इन्हें अगले कार्य दिवस में समान निर्धारित समय तक प्राप्त करते हुए समान निर्धारित समय में खोला जावेगा।

छ.ग.राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वा0चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक 4195 /छगदुमसं/प्रशासन/2023 **उरला, दिनांकः 19/01/2023**

।। सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा की शर्तें।।

1.कार्य का स्वरूप :–

(i) सुरक्षा ठेकेदार/एजेन्सी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, उरला–दुर्ग संयंत्र एवं दुग्ध संयंत्र–बिलासपुर के भवन, गोडाउन ,कार्यालयीन सम्पत्ति एवं परिसर की दिन–रात राउण्ड–द–क्लाक सुरक्षा व्यवस्था करेगा।

(ii) सुरक्षा व्यवस्था में उरला संयंत्र में 18 सुरक्षा कर्मी तथा बिलासपुर संयंत्र में 5 सुरक्षा कर्मी तथा इनके रिलीवरों की आवश्यकता है । विवरण इस प्रकार है :–

रायपुर डेयरी प्लान्ट एवं बिलासपुर डेयरी

सुरक्षा कर्मी का पद	उरला डेरी प्लान्ट	दुग्ध शीत केन्द्र बिलासपुर	प्रबंध संचालक कार्यालय हेतु	दु.शी.केन्द्र धमतरी	दुग्ध शीत केन्द्र सारंगढ़
सुरक्षा अधिकारी	01	–	–	–	–
सुरक्षा पर्यवेक्षक	01	01	–	–	–
सुरक्षा गार्ड	16	04	00	00	00
कुल संख्या	**18**	**05**	**00**	**00**	**00**

प्रबन्धन द्वारा कार्यो का मूल्यांकन न कर स्व–विवेक से संख्या में कटौती/बढ़ोती की जा सकती है।

(iii) सुरक्षा एजेन्सी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था लगातार राउण्ड–द–क्लाक की जावेगी एवं संभावित होने वाली चोरी, नुकसान एवं सम्पत्ति की क्षति से सुरक्षा करेगी। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी सूचना संबंधित विभाग द्वारा अविलम्ब प्रशासन शाखा को दी जायेगी। प्रकरण में प्रबन्ध संचालक द्वारा नियुक्त अधिकारी/कमेटी द्वारा प्रकरण की जांच की जायेगी।

2.पात्रता :–

(i) औद्योगिक संस्थान में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें।

(ii) एजेन्सी के पास ऐसे दो ठेके पूर्व/वर्तमान में संचालित हो जिसकी कीमत 25.00 लाख रूपये प्रत्येक अथवा एक ठेका 40.00 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम न हो इसके समर्थन में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

(iii) एजेन्सी का वार्षिक टर्न ओवर पिछले 3 वर्षो में प्रतिवर्ष न्यूनतम एक करोड़ रूपये होना आवश्यक है, जिसके समर्थन में पिछले 3 वर्षो का वित्तीय प्रपत्र (सी.ए. द्वारा प्रमाणित/अंकेक्षित) संलग्न करना अनिवार्य है।

3. कार्य की वैधता :–

(i) सुरक्षा ठेका एक वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगा। प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि ठेके की अवधि आवश्यकतानुसार तीन माह से एक वर्ष तक के लिए इन्ही स्वीकृत दर एवं शर्तो के आधार पर बढाई जा सकेगी ।

4. जुर्माना :–

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा डेयरी प्लान्ट एवं दुग्ध संयंत्र बिलासपुर में केन/क्रेट्स की चोरी न हो, इस हेतु प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को उत्पादन शाखा ,मार्केटिंग एवं सुरक्षा अधिकारी इस प्रकार तीन व्यक्तियों की कमेटी रहेगी जो प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को उरला प्लान्ट/ दुग्ध संयंत्र बिलासपुर में केन/क्रेटस का भौतिक सत्यापन करेगी। इसी प्रकार केन/क्रेट में जो कमी पायी जाती है उसकी वसूली सुरक्षा एजेन्सी के आगामी देयक एवं प्रतिभूति राशि से की जावेगी। इसी प्रकार अन्य सामग्री की क्षति होती है उसकी वसूली भी सुरक्षा एजेन्सी के आगामी देयक एवं प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

(ii) दोनो पक्षों में से कोई भी सामान्य दशा में तीन माह की पूर्व सूचना देकर सुरक्षा ठेका समाप्त कर सकता है परन्तु सुरक्षा एजेन्सी द्वारा अनुबन्ध के उल्लंघन एवं चूक करने की दशा में प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि वह जांच के पश्चात सुरक्षा ठेका निरस्त कर दे एवं ऐसे प्रकरण में जमा की गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ले, अथवा विवेकानुसार शस्ति/क्षतिपूर्ति की वसूली कर ले। इस संबंध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

(iii) सुरक्षा एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा कि वह लागू होने वाले समस्त श्रम कानूनों जैसे– फैक्ट्री एक्ट, संविदा श्रमिक अधिनियम, ई.पी.एफ.एक्ट, ई.एस.आई.सी., वेतन भुगतान अधिनियम एवं संबंधित अधिनियमों का पालन करें। यदि संबंधित अधिनियम के उल्लंघन बाबत प्रबन्धन को नोटिस प्राप्त होता है एवं कोई दण्ड निर्धारित किया जाता है तो प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि वह उक्त राशि की जुर्माना सहित वसूली सुरक्षा एजेन्सी के देयक/प्रतिभूति राशि से कर सके।

(iv) सुरक्षा एजेन्सी के कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग नही लेंगे। सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी के इन गतिविधियां में भाग लेने पर उन्हें तत्काल सेवा से पृथक कर वैकल्पिक व्यवस्था की जानी होगी । दोषी पाये गये सुरक्षा कर्मियों को पुनः कार्य पर नही रखा जावेगा। इन गतिविधियों से महासंघ का कार्य प्रभावित होने पर वास्तविक हानि या रूपये 50,000 (जो भी अधिक हो) की वसूली सुरक्षा एजेन्सी के देयक/प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

(v) सुरक्षा एजेन्सी परिसर में आवारा कुत्तों एवं पशुओं को रोकने के लिये उत्तरदायी होगी। ऐसा करने में यदि विफल हुई तो एसी प्रत्येक घटना पर रूपये 1,000 की वसूली सुरक्षा एजेन्सी के देयक/प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

(vi) सुरक्षा एजेन्सी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था लगातार शिफ्ट में **''राउण्ड–द–क्लाक''** की जायेगी तथा एजेन्सी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर के सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए जवाबदार रहेगी। एजेन्सी दुग्ध महासंघ परिसर में अवांछित व्यक्तियों के प्रवेश के रोकने, किसी प्रकार की चोरी ,धोखाधडी तथा सम्पत्ति की तोड–फोड से सुरक्षा प्रदान करेगी। यदि एजेन्सी की लापरवाही से ऐसी कोई घटना घटित होती है तो संघ को हुई क्षति की वसूली प्रबन्धन द्वारा एजेन्सी के देयक/ प्रतिपूर्ति राशि से की जायेगी।

(vii) एजेन्सी को कान्ट्रेक्ट लेबर रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन एक्ट के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा एवं एजेन्सी को कान्टेक्ट लेबर एक्ट, ई.पी.एफ. एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ई.एस.आई.सी., एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू होने वाले अन्य समस्त श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। संबंधित श्रम निरीक्षक/फैक्ट्री इंस्पेक्टर/ई.पी. एफ.निरीक्षक/ई.एस.आई.सी. निरीक्षक द्वारा समय–समय पर मांगे गये रिकार्ड का अवलोकन कराना अनिवार्य होगा। यदि एजेन्सी इन नियमों के अन्तर्गत के प्रावधानों का पालन करने में असफल रहती है तो ऐसी दशा में प्रधान नियोक्ता के नाते प्रबन्धन द्वारा एजेन्सी पर की गई पेनाल्टी शासकीय खाते में जमा कर दी जायेगी जिसका एजेन्सी के देयक राशि/प्रतिभूति राशि से की जायेगी।

(viii) एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा नियोजित कर्मी पूर्ण मुस्तैदी से एवं जागरूकता से कार्य संपादित करें तथा पूर्णतः अनुशासित रहे। एजेन्सी के कर्मचारियों की लापरवाही से दुग्ध महासंघ को आर्थिक क्षति होती है तो उसकी वसूली एजेन्सी से की जायेगी। इसी प्रकार कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी सजगता से न किये जाने की दशा में प्रबन्ध द्वारा उपरोक्त पेनाल्टी एजेन्सी पर की जायेगी। इस संबंध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

(ix) एजेन्सी का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न न होने की दशा में, एजेन्सी के कर्मियों के वेतन भुगतान, पी.एफ. संबंधी लगातार शिकायतें प्राप्त होने पर प्रबन्धन किसी भी समय बिना कोई नोटिस के ठेका निरस्त कर सकता है एवं इस मद में दुग्ध महासंघ को हुई क्षति की वसूली पूर्ण रूप से अथवा अंशतः एजेन्सी के देयक/अमानत राशि से कर सकता है। इस संबंध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम एवं उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

(x) संयंत्र परिसर मे मंदिरापान या अन्य किसी भी प्रकार का नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य मे लिप्त पाये जाने/अनुशासनहीनता करने, धरना प्रदर्शन, हड़ताल आदि करने पर संबंधित सुरक्षा कर्मि को पारिश्रमिक देय नही होगा तथा ऐसे सुरक्षा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से कार्य से हटाना होगा एवं सुरक्षा ठेकेदार के विरूद्व रू. 1000/– प्रति सुरक्षा कर्मी अर्थदण्ड भी आरोपित किया जा सकेगा, जिसकी वसूली संघ द्वारा ठेकेदार के देयक मे से की जा सकेगी। दोषी पाये गये सुरक्षा कर्मियों को पुनः कार्य पर नही रखा जावेगा।

(xi) यदि ठेकेदार के सुरक्षा कर्मी की गलती से या असावधानी से दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या दुग्ध महासंघ की सम्पत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबूझ कर नुकसान करने आदि मे संलग्न पाये जाते है तो प्रबंधन पक्ष द्वारा क्षति की राशि का दो गुणा एवं चोरी की स्थिति मे सामग्री की राशि का 50 गुणा अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। उसकी वसूली ठेकेदार के देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध मे प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का निर्णय अंतिम होगा। ऐसे कार्य मे लिप्त सुरक्षा कर्मी को भविष्य मे कार्य पर नही लिया जा सकेगा।

5. **भुगतान की शर्ते :—**

(i) ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये देयक प्राप्त होने के दिनांक से 15 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान ठेकेदार को चेक के माध्यम से किया जावेगा।

6. निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया :—

6.1 लिफाफा ''A'' प्रपत्र शुल्क रू. 1000/—, धरोहर राशि रू. 20,000/— एवं सुरक्षा ठेका के कागजात का लिफाफा :—

(i) प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि का डी.डी. एवं सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित दस्तावेज एक अलग लिफाफा रखे, जिस पर लिफाफा ''A'' लिखा जाए।

(ii) धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ही जमा की जानी होगी। धरोहर राशि जमा न होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

(iii) धरोहर राशि संपूर्ण ठेका अवधि तक महासंघ के पास अमानत राशि के रूप में रखी जावेगी। जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

लिफाफा ''A'' में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजो का चेक लिस्ट

क्र.	दस्तावेज का नाम	संलग्न का प्रकार
01.	निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1000/— का **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)** को रायपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट	मूलतः संलग्न किया जाना है।
02.	धरोहर राशि रू. 20,000/— का **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit)** को रायपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट	मूलतः संलग्न किया जाना है।
03.	**सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित दस्तावेज**	स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की जानी है।
04.	सुरक्षा ठेका संबंधी लायसेन्स का प्रमाण—पत्र (जीवित)	
05.	जी.एस.टी. जीवित रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति	
06.	इनकम टेक्स, पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति	
07.	भविष्य निधि कोड नम्बर प्रमाण—पत्र की छायप्रति	
08.	ई.एस.आई.सी. रजिस्ट्रेशन नम्बर की प्रमाण—पत्र की छायाप्रति	
09.	पसारा प्रमाण—पत्र (जीवित) छायाप्रति	
10.	स्थापाना के पंजीयन का प्रमाण—पत्र (गुमास्ता) की छायाप्रति	
11.	लेबर लायसेन्स (जीवित) की छायाप्रति	
12.	सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट राशि रू0 10.00 लाख की	
13.	ऑडिट रिपोर्ट एवं आई.टी.आर. की छायाप्रति	
14.	कार्य अनुभव की छायाप्रति	
15.	अनुसूची 1 काली सूची में नही होने का शपथ पत्र	रू0 10 के नोटरीकृत स्टाम्प पेपर पर प्रारूप अनुसार मूलतः संलग्न किया जाना है।
16.	निविदाकार का माननीय संचालक मण्डल/कार्यरत कर्मचारियों से निकट संबंध न होने का अनुसूची 2 अनुसार शपथ पत्र	रू0 10 के नोटरीकृत स्टाम्प पेपर पर प्रारूप अनुसार मूलतः संलग्न किया जाना है।

6.2 प्रपत्र ''B'' **भाव पत्र :—**

(i) "भाव पत्र/दर" निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जावे।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर द्वारा उपरोक्तानुसार श्रेणी हेतु शासन द्वारा वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम दरें ही भुगतान की जावेगी जो रिलीवर पर भी लागू होगी। प्रबन्धन द्वारा इस मद में कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा। भविष्य में न्यूनतम वेतन की दरों में किसी प्रकार की वृद्वि होती है तो प्रबन्धन द्वारा अनुपातिक रूप से दरों में वृद्वि की जावेगी।

(iii) निविदाकार को केवल सर्विस चार्ज, जो कि मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में होगा, ही अंकित भरना है ।

(iv) दरें अंको एवं शब्दों दोनो में लिखी जावे। अस्पष्ट होने/अंतर होने पर शब्दों में लिखी गई दरें मान्य की जावेगी।

(v) भारतीय स्टेट बैंक में खाता होना सुनिश्चित करें।

लिफाफा ''B'' में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजो का चेक लिस्ट

क्र.	दस्तावेज का नाम	संलग्न का प्रकार
01.	प्रपत्र ''B'' "भाव पत्र/दर"	हस्ताक्षर कर मूलतः संलग्न किया जाना है।
02.	भारतीय स्टेट बैंक में खाता	बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

6.3 निविदा खोलने की प्रक्रिया :–

(i) बड़ा लिफाफा ''C'' खोलकर सर्वप्रथम निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि एवं सुरक्षा व्यवस्था निविदा से संबंधित दस्तावेज का लिफाफा ''A'' खोला जावेगा।

(ii) लिफाफा ''A'' में निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1,000/– एवं धरोहर राशि रू. 20,000/– का डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति तथा सुरक्षा व्यवस्था के निविदा से संबंधित दस्तावेज सहीं होने पर ही लिफाफा ''B'' खोला जावेगा।

6.4 निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–

(i) उक्त दोनो ''A'' और ''B'' बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य बडे लिफाफे ''C'' में बंद कर कार्यालय में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, कार्यालय क्रमांक 1 प्रथम तल, शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्यूदय) परिसर, नगर घड़ी चौक रायपुर (छ.ग.), पिन : 492001 को प्रेषित किया जावेगा। **लिफाफा ''C'' में उपर की ओर प्रशासनिक शाखा एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा, लिखा जाना आवश्यक होगा।**

(ii) स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से रायपुर मे दर्ज पते पर निविदाएँ प्राप्त होना आवश्यक है। **किसी भी अन्य तरीके/स्थान पर प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।**

(iii) निविदा लिफाफा ठीक से मुहरबंद होना चाहिये।

(iv) किसी भी कारण से निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त हुई निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

(v) उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्ते मान्य नहीं की जावेगी।

(vi) दरे प्रपत्र **''B''** में संलग्न होगी एवं सिर्फ और सिर्फ इसी प्रारूप में स्वीकृत होंगी ।

(vii) निविदा प्रपत्र पूर्ण बिना काटपीट के स्वच्छ अक्षरों में होना चाहिए, जिसे बन्द लिफाफे में एवं बन्द लिफाफे के ऊपर कार्य विवरण अर्थात सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा आवश्यक रूप से अंकित कर जमा करें। यदि किसी प्रकार की निविदा भरते वक्त काटपीट की जाती है तो वहॉ निविदाकार का हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा।

7. सामान्य नियम एवं शर्ते :–

1– निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नही किया जायेगा।

2– केवल वहीं एजेन्सी अथवा निविदाकार की निविदा मान्य की जायेगी जो निम्नानुसार पात्रता रखते हों :–

अ– जिसे औद्योगिक संस्थान में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें।

ब– जिस एजेन्सी के पास ऐसे दो ठेके पूर्व/वर्तमान में संचालित हो जिसकी कीमत 25.00 लाख रूपये प्रत्येक अथवा एक ठेका 40.00 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम न हो इसके समर्थन में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

स– एजेन्सी का वार्षिक टर्न ओवर पिछले 3 वर्षो में प्रतिवर्ष न्यूनतम एक करोड़ रूपये होना आवश्यक है, जिसके समर्थन में पिछले 3 वर्षो का (सी.ए. द्वारा प्रमाणित/अंकेक्षित) वित्तीय प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3– बिना अमानत राशि एवं बिना आवश्यक विवरण (जो कि प्रबन्धन द्वारा चाहा गया है) की प्राप्त निविदायें निरस्त मानी जायेगी।

4– निविदायें निर्धारित तिथि एवं समय पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है, परंतु निविदाकारों की उपस्थिति निविदा खोलने की अनिवार्य आवश्यकता नहीं होगी ।

5– आवश्यकतानुसार निविदाकर्ताओं से निगोशियेशन कर दर एवं अन्य शर्ते निर्धारित करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक को सुरक्षित होगा। निगोशियेशन की तिथि प्रबन्ध संचालक की सुविधानुसार निर्धारित की जायेगी।

6– प्रबन्ध संचालक को किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना निविदाकर्ताओं को कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

7– यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को प्रबन्धन द्वारा सुरक्षा ठेके का प्रस्ताव दिया जाता है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित कराने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा की गई अमानत (EMD) की राशि प्रबन्धन द्वारा जब्त कर ली जावेगी ।

8– निविदा के साथ अमानत की राशि रूपये 20,000/– (अक्षरी रूपये बीस हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य है। यह राशि निविदा स्वीकृत होने की दशा में प्रतिभूति राशि में समायोजित की जा सकेगी। अमानत राशि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के नाम पर रायपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा ही मान्य होगी।

9– ऐसे निविदाकर्ता जिनकी निविदायें प्रबन्धन द्वारा अस्वीकृत की जाती है, उनकी अमानत राशि (EMD) निविदा प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात एक माह के अन्दर ही लौटाई जा सकेगी।

10– निविदाकर्ता को इन्कम टेक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट या आयकर निर्धारण प्रमाण की फोटाकापी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11– निविदाकारों को यह सलाह दी जाती है कि यदि चाहे तो निविदा भरने के पूर्व स्वयं के व्यय से दुग्ध महासंघ के उरला बी.एम.वाय., चरोदा जिला–दुर्ग के संयंत्र के प्रशासनिक भवन में आकर वे वर्तमान सुरक्षा पद्वति एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन कर सकते है।

12– प्रबन्धन को यह अधिकार सुरक्षित है कि समस्त कार्य हेतु सुरक्षा व्यवस्था का ठेका एक अथवा विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियों को आबंटित करे ।

13– समस्त निविदायें अथवा किसी भी निविदा को ग्राह्य अथवा अग्राह्य करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, उरला बी.एम.वाय., चरोदा जिला–दुर्ग के पास सुरक्षित होगा तथा किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार भी प्रबन्ध संचालक के पास सुरक्षित होगा एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार मान्य नही होगा ।

14– निविदाकारों से अपेक्षा है कि वे वर्तमान/अथवा पूर्व में (विगत तीन वर्ष की अवधि) लिए गए सुरक्षा ठेके बाबत विवरण (जहां कार्यरत रहे हों ,एजेन्सी/संस्था के नाम सहित) प्रस्तुत करें।

15– Solvancy Certificate (Minimum 10 Lac) जमा करना होगा ।

16– पूर्व में जो निविदाकार दुग्ध महासंघ में सुरक्षा व्यवस्था का कार्य कर चुके है एवं इनके कार्यकाल में यदि उनके कार्यकलापों के विरूद्व प्रबन्धन को शिकायत/रिपोर्ट प्राप्त हुई है, ऐसे निविदाकार की निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी एवं इस सम्बन्ध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

==

8. **<u>अनुबंध :–</u>**

(i) निविदा स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर सुरक्षा व्यवस्था प्रारंभ होने से पूर्व निविदाकार को संलग्न प्रारूप अनुसार रू. 500/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को समय–समय पर अनुबन्ध की शर्तों के परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार होगा, जिसे सुरक्षा ठेकेदार मानने हेतु बाध्य होगा।

9. <u>सीमांकन क्षेत्र :–</u>

(i) किसी भी/समस्त निविदाओं को आंशिक/संपूर्ण रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का समस्त अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के पास सुरक्षित रहेगा।

(ii) निविदाकर्ता तथा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के मध्य में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अनुबंध के नियम एवं शर्ते दोनो पक्षो को मान्य होगी। मतभेद की स्थिति में अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

10. <u>न्यायालयीन प्रक्रिया का कार्यक्षेत्र :–</u>

(i) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में समस्त विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा।

11. <u>घोषणा :</u>– निविदाकार द्वारा निविदा भरा जाना इस तथ्य का द्योतक है कि उसने निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र (नियम एवं शर्तें, अनुबंध की कंडिकाए आदि) का भली भाति अध्ययन कर समझ लिया है, एवं कोई भी तथ्य/कंडिका समझ न आने पर कार्यालय से उस पर पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली है, तथा वह महासंघ की निविदा में दर्ज नियम एवं शर्तों एवं अनुबंध की कंडिकाओं के अनुरूप कार्य करने पर सहमत है। निविदा भरे जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।

प्रबन्ध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

<u>प्रपत्र – B</u>

छ.ग.राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वा0चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक 4195 /छगदुमसं/प्रशासन/2023 **उरला, दिनांकः 19/01/2023**

।। सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा की दरें प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र।।

प्रति,

प्रबन्ध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित,
उरला,जिला–दुर्ग (छ.ग.)

विषयः– सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा की दरें।
सन्दर्भः– छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा समाचार पत्र ''दैनिक भास्कर'' के दिनांक 25–01–2023 में प्रकाशित निविदा सूचना।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा सुरक्षा ठेका निविदा– **''दैनिक भास्कर''** समाचार पत्र **दिनांक 25–01–2023** में प्रकाशित की गई है। उपरोक्त के संदर्भ में, मैं निवेदन करता हूं कि यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित सुरक्षा ठेके की शर्तो के अनुसार सुरक्षा ठेके का कार्य करने हेतु सहमत हूं। मैं एतद् द्वारा अमानत की राशि रू. 20,000/ (अक्षरी रूपये बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कमांक .... दिनांक .... जो कि .... बैंक का है, संलग्न कर रहा हूँ।

मेरी वर्तमान जानकारी तथा संबंधित क्षेत्र एवं कार्य के निम्न विवरणानुसार अनुभव है :—

1— निविदाकार का पूरा नाम ....

....

2— पिता/पति का नाम ....

3— वर्तमान पता ....

....

4— स्थायी पता ....

....

5— यदि कोई पार्टनर हो तो ....
उसका नाम एवं पता ....
यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म है ....
तो पंजीयन प्रमाण पत्र एवं ....
भागीता पत्र की प्रति संलग्न ....
की जाये। यदि पंजीकृत ....
भागीदारी फर्म नही है तो ....
भागीता पत्र की नोटरी से ....
सत्यापित सत्य प्रतिलिपि संलग्न ....
की जाये।

6— पूर्व कार्यो के अनुभव का विवरण ....
संबंधित संस्थान के नाम व पते ....
परफारमेन्स लेटर एवं अनुभव संबंधी..

.

प्रमाण पत्र संलग्न करें. ....

7— वर्तमान में कितने सुरक्षा कर्मचारी..
आपकी ठेकेदारी में कार्यरत है. ....

8— वर्तमान में जहॉ कार्य कर रहा है ....

.

उस संस्थान का नाम व पता ....
(समर्थन में वर्क आर्डर की प्रति ....
संलग्न की जावे)

9— सुरक्षा ठेके संबंधी लायसेन्स का ....
विवरण (लायसेन्स के प्रमाण पत्र ....
की छायाप्रति संलग्न की जावे) ....

10— सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन नं. की ....
छायाप्रति संलग्न की जावे। ....

11— इनकम टेक्स, पेन नं. की ....
छायाप्रति संलग्न की जावे। ....

12— ई.एस.आई.सी. कोड की छायाप्रति..
संलग्न की जावे। ....

13– भविष्य निधि कोड़ नं. (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे) ....
....
....

दिनांकः

हस्ताक्षर

नाम...

पता...

....

प्रपत्र – B

।। निविदा हेतु दरें ।।

सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदाकार द्वारा दी गई दरें
(लिफाफे 'C' में सील बंद कर रखा जावें)

क्रमांक	सर्विस चार्ज प्रतिशत अंको में	सर्विस चार्ज प्रतिशत शब्दों में
1.		

श्रेणी	छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ द्वारा देय न्यूनतम दरें प्रचलित मिनीमम वेज एक्ट अनुसार	वर्तमान दर उरला संयंत्र (01–10–2022 से प्रभावशील)	वर्तमान दर बिलासपुर संयंत्र
1– सुरक्षा अधिकारी	कुशल	11,650	11,390
2– सुरक्षा पर्यवेक्षक	अर्द्धकुशल	10,870	10,610
3– सुरक्षा गार्ड	अकुशल	10,220	9,960

<u>नोटः–</u>

1–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर द्वारा उपरोक्तानुसार श्रेणी हेतु शासन द्वारा वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम दरें ही भुगतान की जावेगी जो रिलीवर पर भी लागू होगी। प्रबन्धन द्वारा इस मद में कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा। **निविदाकर्ता को केवल सर्विस चार्ज अंकित करना है।** भविष्य में न्यूनतम वेतन की दरों में किसी प्रकार की वृद्वि होती है तो प्रबन्धन द्वारा अनुपातिक रूप से दरों में वृद्वि की जावेगी।
2–सेवा शुल्क 0 % (प्रतिशत) या इसके समकक्ष होने पर निविदाएं स्वीकार नही की जावेगी।
3–अनुबन्ध की शर्तें की कंडिका कमांक–13 का पालन करना अनिवार्य होगा।

दिनांक :

निविदाकार के हस्ताक्षर

पता – ....

....

....

।। सुरक्षा व्यवस्था अनुबन्ध की शर्ते।।

सुरक्षा व्यवस्था निविदा क्रमांक ..../छगदुमसं/प्रशासन/2023 उरला, दिनांक ....यह अनुबंध प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, उरला, जिला–दुर्ग (छ0ग0) अथवा उसके उत्तरवर्ती अधिकारी जिसे भविष्य में अन्य किसी पद नाम से संबोधित किया जावें, जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है एवं द्वितीय पक्ष .... आगे सुरक्षा एजेंसी कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया जो कि इस बात की साक्षी है कि ....द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के भवन, डेयरी संयंत्र एवं दुग्ध संयंत्र बिलासपुर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निम्नानुसार दरें दी गई जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा दिनांक 01–04–2023 से दिनांक 31–03–2024 तक की अवधि हेतु निम्न शर्तो के अध्याधीन मान्य की गई है।

अनुबंध अवधि में स्वीकृत दर प्रतिदिन/प्रति सुरक्षा कर्मी/अन्य दरें:–

क.	**पद**	**पारिश्रमिक (रायपुर/बिलासपुर) (न्यूनतम मजदूरी)**
1–	सुरक्षा अधिकारी	– मिनिमम वेजेस (कुशल) छत्तीसगढ़ शासन अनुसार
2–	सुरक्षा पर्यवेक्षक	– मिनिमम वेजेस (अर्ध कुशल) छत्तीसगढ़ शासन अनुसार
3–	सुरक्षा गार्ड	– मिनिमम वेजेस (अकुशल) छत्तीसगढ़ शासन अनुसार
4–	सर्विस चार्ज	– प्रतिशत
5–	ई.पी.एफ. अंशदान	– 13 प्रतिशत (शासन के नियमानुसार)
6–	जी.एस.टी.	– भारत सरकार के नियमानुसार मिनिमम वेजेस पर
7–	ई.एस.आई.सी	– 3.25 प्रतिशत शासन के नियमानुसार

उपरोक्त दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत श्रमायुक्त, छत्तीसगढ शासन द्वारा अनुमोदित दिनांक 01/10/2022 के अनुसार है।

यदि उपरोक्त वेतन में किसी प्रकार का संशोधन श्रम विभाग/शासन द्वारा उपरोक्त दिनांक के पश्चात् किया जाता है तो अनुपातिक रूप से पारिश्रमिक की दरों में वृद्वि की जावेगी किन्तु सर्विस चार्ज यथावत रहेंगे।

1– सुरक्षा व्यवस्था ठेका एक वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगा। प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि ठेके की अवधि आवश्यकतानुसार तीन माह तक के लिए इन्ही स्वीकृत दर एवं शर्तो के आधार पर बढाई जा सकेगी ।

2– सुरक्षा ठेकेदार/एजेन्सी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के संयंत्र एवं दुग्ध संयंत्र बिलासपुर में भवन, गोडाउन ,कार्यालयीन सम्पत्ति एवं परिसर की दिन–रात राउण्ड–द–क्लाक सुरक्षा व्यवस्था करेगा।

3– सुरक्षा एजेन्सी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था लगातार राउण्ड–द–क्लाक की जावेगी एवं संभावित होने वाली चोरी,नुकसान एवं सम्पत्ति की क्षति से सुरक्षा करेगी। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी सूचना संबंधित विभाग द्वारा अविलम्ब प्रशासन शाखा को दी जायेगी। प्रकरण में प्रबन्ध संचालक द्वारा नियुक्त अधिकारी/कमेटी द्वारा प्रकरण की जांच की जायेगी। जांच उपरान्त प्रशासन शाखा के उत्तरदायी पाने पर दुग्ध महासंघ को जो क्षति हुई है, उसकी वसूली एजेन्सी के देयक से की जायेगी। केन/क्रेट्स के संबंध में पृथक कंडिका में विवरण प्रदर्शित है।

4– अ– छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा डेयरी प्लान्ट एवं दुग्ध संयंत्र बिलासपुर में केन/क्रेट्स की चोरी न हो, इस हेतु प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को उत्पादन शाखा ,मार्केटिंग ,स्टोर एवं सुरक्षा अधिकारी इस प्रकार चार व्यक्तियों की कमेटी रहेगी जो प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को प्लान्ट/ दुग्ध संयंत्र बिलासपुर में केन/क्रेटस का भौतिक सत्यापन करेगी। इसी प्रकार केन/क्रेट में जो कमी पायी जाती है उसकी वसूली सुरक्षा एजेन्सी के आगामी देयक एवं प्रतिभूति राशि से की जावेगी। इसी प्रकार अन्य सामग्री की क्षति होती है उसकी वसूली भी सुरक्षा एजेन्सी के आगामी देयक एवं प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

ब– दुग्ध महासंघ की सम्पत्ति विशेष रूप से केन/क्रेट्स की चोरी न हो इस हेतु वाहन ठेकेदार के प्लांट में प्रवेश के समय सुरक्षा एजेन्सी के द्वारा वाहन में लाये जाने वाले खाली/भरे/केन/क्रेट्स/ अन्य सामग्री की वाहन की जांच कर गणना की जायेगी जिसकी प्रविष्टि संबंधित रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप में सुरक्षा कर्मी द्वारा की जायेगी। इसी प्रकार वाहन प्लान्ट से बाहर जाते समय खाली/भरे क्रेट /क्रेट्स की गिनती कर सुरक्षा कर्मियों द्वारा रजिस्टर में प्रविष्टि की जायेगी।

स– इस संबंध में प्रबन्धन द्वारा यदि यह जानकारी मांगी जाती है तो सुरक्षा एजेन्सी गेट पर रखे रिकार्ड की जांच कर प्रबन्धन को प्रस्तुत करेगी।

5–सुरक्षा ठेकेदार/एजेन्सी द्वारा समस्त प्रकार की सामग्री को बाहर जाने एवं अन्दर आने तथा सभी वाहनों के बाहर जाने एवं अन्दर आने, समस्त व्यक्तियों/कर्मचारियों को अन्दर आने एवं बाहर जाने का रिकार्ड रखा जाएगा एवं आवश्यकता पडने पर प्रबन्धन के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

6–सुरक्षा एजेन्सी स्वयं के व्यय से अपने अधीनस्थ समस्त सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी/प्रोटैक्टिव गारमेंट एवं परिचय पत्र उपलब्ध करायेगी जिसमें सुरक्षा कर्मियों के कार्यकाल अवधि का उल्लेख होना अनिवार्य होगा ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके।

7–सुरक्षा एजेन्सी, प्रबन्धन के निर्देशानुसार गनमैन सुरक्षा कर्मचारी उपलब्ध करायेगी, जिस हेतु पृथक से निर्धारित दर से भुगतान देय होगा।

8–सुरक्षा एजेन्सी द्वारा प्रत्येक शिफ्ट में सुरक्षा कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर पत्रक रखे जायेंगे जो कि प्रबन्धन या उसके प्रतिनिधि को उपस्थिति सत्यापन हेतु प्रत्येक पाली में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9–सुरक्षा एजेन्सी द्वारा अग्नि बुझाने वाले उपकरणों का रखरखाव सुनिश्चित करना होगा एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण/परीक्षण करना होगा ताकि ऐसी घटनायें घटित होने पर त्वरितगति से काबू पाया जा सके ।

10–सुरक्षा एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि स्टोर, प्लान्ट के अन्दर या बाहर रखी गई सामग्री को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे, यदि ऐसी कोई सामग्री असुरक्षित रूप से बाहर रखी हुई दिखाई देती है तो सुरक्षा एजेन्सी द्वारा इसकी लिखित सूचना प्रबन्धन को दी जावेगी।

11–सुरक्षा एजेन्सी यह भी सुनिश्चित करेगी कि अनाधिकृत एवं निशिद्ध व्यक्ति/जानवर परिसर में प्रवेश न कर सके।

12–सुरक्षा एजेन्सी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यालय/संयंत्र परिसर में शांति बनाये रखे एवं कर्मचारियों बाहरी तत्वों के झगडे इत्यादि को रोके।

13–सुरक्षा एजेन्सी द्वारा नियोजित कर्मियों की उपस्थिति प्रभारी अधिकारी से सत्यापित करवाकर, बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कर, देयक 10 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। देयक के साथ सुरक्षा एजेन्सी कर्मियों को बैक के माध्यम से भुगतान किये गये बैंक स्लिप की उपस्थिति रजिस्टर सत्यापित उपस्थिति तथा कर्मियों के वेतन से काटी गई 12 प्रतिशत भविष्य निधि राशि की जानकारी के साथ भविष्य निधि कार्यालय में जमा की गई राशि का कर्मचारी वार प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इस हेतु जमा चालान की प्रति ई.सी..आर. फाईल की साफ्ट कापी एवं हार्ड कापी प्रस्तुत करना होगा। ठेकेदार द्वारा संस्था में नियोजित सुरक्षा कर्मियों की भविष्य निधि पृथक से जमा करना अनिवार्य है साथ ही देयक के साथ सुरक्षा एजेन्सी द्वारा जमा की गई छायाप्रति का मूल प्रति से सत्यापन करवाना आवश्यक होगा अन्यथा देयक अपूर्ण माना जायेगा एवं उस पर कोई कार्यवाही नही की जायेगी। जी.एस.टी. का भुगतान दुग्ध महासंघ द्वारा किया जावेगा। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये देयक प्राप्त होने के दिनांक से 15 कार्य दिवस के भीतर भुगतान ठेकेदार को चेक के माध्यम से किया जावेगा। यदि ठेकेदार द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों को वेतन न मिलने की शिकायत प्राप्त होती है तो प्रबन्धन द्वारा उक्त कर्मी को सीधे भुगतान कर दिया जावेगा एवं ठेकेदार से उक्त राशि की वसूली राशि रू0 5,000/– अर्थदण्ड के साथ प्रतिकर्मी प्रतिमाह की जावेगी। इसी प्रकार श्रम नियमों के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा निर्धारित औपचारिकातायें पूर्ण न किए जाने की दशा में प्रबन्धन द्वारा स्वयं ई.पी.एफ. कोड़ के माध्यम से उक्त राशि 10 प्रतिशत जुर्माना के साथ सीधी जमा कर दी जावेगी।

14–दोनो पक्षों में से कोई भी सामान्य दशा में तीन माह की पूर्व सूचना देकर सुरक्षा ठेका समाप्त कर सकता है परन्तु सुरक्षा एजेन्सी द्वारा अनुबन्ध के उल्लंघन एवं चूक करने की दशा में प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि वह जांच के पश्चात सुरक्षा ठेका निरस्त कर दे एवं ऐसे प्रकरण में जमा की गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ले, अथवा विवेकानुसार शास्ती/क्षतिपूर्ति की वसूली कर ले। इस संबंध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

15–सुरक्षा एजेन्सी को गेट नं.– 02 पर कार्य हेतु प्रबन्धन उचित स्थान उपलब्ध करायेगा। बैठने एवं रिकार्ड सुरक्षित रखने हेतु फर्नीचर प्रदाय किया जावेगा।

16—ठेके के दौरान सुरक्षा एजेन्सी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के कर्मचारियों अथवा उनके रिश्तेदारों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में कार्य पर नही ले सकेगी।

17—सुरक्षा एजेन्सी को सुरक्षा कर्मचारियों को कार्य पर रखने के पूर्व प्रबन्धन से अनुमति लेना आवश्यक होगा। किसी भी सुरक्षा कर्मी के आचरण/व्यवहार में शंका पाये जाने पर प्रबन्धन द्वारा सूचना दिये जाने पर एजेन्सी द्वारा तत्काल उक्त कर्मी को हटा दिया जाएगा।

18—सुरक्षा एजेन्सी को यह अधिकार होगा कि वह मेन—गेट से आने—जाने वाले वाहनों, प्रबन्धन के कर्मचारियों, बाहरी व्यक्तियों की तलाशी ले सकती है एवं दुग्ध महासंघ परिसर में भी आवश्यकतानुसार तलाशी ली जा सकती है।

19—सुरक्षा एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा कि वह लागू होने वाले समस्त श्रम कानूनों जैसे— फैक्ट्री एक्ट, संविदा श्रमिक अधिनियम, ई.पी.एफ.एक्ट, ई.एस.आई.सी., वेतन भुगतान अधिनियम एवं संबंधित अधिनियमों का पालन करें। यदि संबंधित अधिनियम के उल्लंघन बाबत प्रबन्धन को नोटिस प्राप्त होता है एवं कोई दण्ड निर्धारित किया जाता है तो प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि वह उक्त राशि का सुरक्षा एजेन्सी को किये जाने वाले/किये गये भुगतान राशि का समायोजन सुरक्षा एजेन्सी के देयक/प्रतिभूति राशि से कर सके।

20—सुरक्षा एजेन्सी को प्रतिभूति राशि रूपये अंकों में 3,00,000.00 (अक्षरी रूपये तीन लाख मात्र) नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा ठेका प्रारंभ करने के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति राशि में निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि समायोजित की जायेगी। प्रतिभूति राशि एजेन्सी को ठेका समाप्त होने पर, संबंधित शाखा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर, एजेन्सी के कालावधि के दौरान एजेन्सी के कार्यो से संघ को हुई क्षति की वसूली किये जाने के उपरान्त, यदि शेष हो तो एजेन्सी को लौटायी जायेगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

21—सुरक्षा एजेन्सी कर्मचारियों के लिए निम्न अर्हताएं निर्धारित की जाती है :—

अ— <u>सुरक्षा अधिकारी</u> एन.सी.सी., सूबेदार या उनके वरिष्ठ अथवा रिटायर्ड पुलिस एस.आई. अथवा समकक्ष अथवा औद्योगिक संस्थान में सुरक्षा पर्यवेक्षक का कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो। शैक्षणिक योग्यता (ग्रेजुएट) स्नातक होना अनिवार्य है।

ब— <u>सुरक्षा पर्यवेक्षक</u> औद्योगिक सुरक्षा का पर्यवेक्षक या समकक्ष कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एच.एस.एस.सी. पास।

स—<u>सुरक्षा गार्ड</u> न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास तथा औद्योगिक सुरक्षा कर्मी के रूप में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव अथवा प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड। उपरोक्त सभी श्रेणी हेतु एक्स सर्विसमेन को प्राथमिकता दी जावेगी। उक्त सुरक्षा एजेन्सी कर्मचारियों की अर्हताएं के संबंध में शिथिलता बरतने का अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर को होगा।

22—सुरक्षा एजेन्सी के कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग नही लेंगे। सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी के इन गतिविधियां में भाग लेने पर उन्हें तत्काल सेवा से पृथक कर वैकल्पिक व्यवस्था की जानी होगी। दोषी पाये गये सुरक्षा कर्मियों को पुनः कार्य पर नही रखा जावेगा। इन गतिविधियों से महासंघ का कार्य प्रभावित होने पर वास्तविक हानि या रूपये 50,000 (जो भी अधिक हो) की वसूली सुरक्षा एजेन्सी के देयक/प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

23—प्रबन्धन द्वारा समय—समय पर दिये जाने वाले निर्देशों एवं कार्यो का कडाई से पालन करना एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिये प्रभावी कदम उठाने के लिए सुरक्षा एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

24—प्रबन्धन द्वारा आवश्यकतानुसार सुरक्षा अमले की तैनाती के संबंध में समय—समय पर निर्देश दिया जावेगा जिसका सुरक्षा एजेन्सी द्वारा पालन करना अनिवार्य होगा।

25—सुरक्षा एजेन्सी प्रबन्धन की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार टाइम आफिस रिकार्ड आदि रखने के लिए उत्तरदायी होगी।

26—सुरक्षा एजेन्सी को संविदा श्रमिक अधिनियम—1970 के अन्तर्गत श्रम विभाग से लायसेन्स प्राप्त कर प्रबन्धन को प्रस्तुत करना होगा।

27—सुरक्षा एजेन्सी प्रबन्धन के निर्देशानुसार डेली रिपोर्ट तैयार करेगी एवं उस रिपोर्ट को प्रबन्धन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

28—प्रबन्धन किसी भी प्रकार की सुरक्षा एजेन्सी को लिपिकीय सुविधा उपलब्ध नही करावेगा। सुरक्षा एजेन्सी स्वयं लिपिकीय व्यवस्था करेगी।

29—सुरक्षा एजेन्सी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करता है तो प्रबन्धन को प्रतिभूति राशि रू0 3 लाख राजसात करते हुए सुरक्षा ठेके को निरस्त करने का अधिकार होगा।

30—प्रबन्धन को अनुबंध की शर्तो को संशोधित करने ,निरस्त करने एवं नई शर्तो को जोडने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में एक माह की पूर्व सूचना सुरक्षा एजेन्सी को दी जावेगी।

31—सुरक्षा एजेन्सी को अपने कर्मचारियों के लिये फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजरी कार्ड, अवकाश कार्ड आदि देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा उनका व्यवस्थित रिकार्ड एजेन्सी को स्वयं ही रखना होगा जिसकी एक प्रति भुगतान देयक के साथ कार्यालय में जमा करवानी होगी। कारखाना निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान संबंधित रिकार्ड चेक कराने होंगे।

32—प्रबन्धन के परिसर में धूम्रपान/मदिरापान पूर्णतः वर्जित है। यदि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो प्रबन्धन को स्वविवेक से सुरक्षा एजेन्सी पर जुर्माना करने का अधिकार होगा।

33—सुरक्षा एजेन्सी परिसर में आवारा कुत्तों एवं पशुओं को रोकने के लिये उत्तरदायी होगी। ऐसा करने में यदि विफल हुई तो एसी प्रत्येक घटना पर रूपये 1,000 की वसूली सुरक्षा एजेन्सी के देयक/प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

34—सुरक्षा एजेन्सी द्वारा किसी कारणवश सुरक्षा कर्मियों को बदला जाता है तो उसकी सूचना प्रबन्धन को तत्काल सूचित किया जाना अनिवार्य होगा साथ ही नियोजित नये सुरक्षा कर्मी की सूचना भी प्रबन्धन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

35—एजेन्सी द्वारा निम्नानुसार संख्या में सुरक्षा कर्मी नियोजित किये जाएंगे। प्रबन्धन द्वारा कार्यो का मूल्यांकन न कर स्व–विवेक से संख्या में कटौती/बढ़ोती की जा सकती है।

रायपुर डेयरी प्लान्ट एवं बिलासपुर डेयरी

सुरक्षा कर्मी का पद	उरला डेरी प्लान्ट	दुग्ध शीत केन्द्र बिलासपुर	प्रबंध संचालक कार्यालय हेतु	दु.शी.केन्द्र धमतरी	दुग्ध शीत केन्द्र सारंगढ़
सुरक्षा अधिकारी	01	—	—	—	—
सुरक्षा पर्यवेक्षक	02	01	—	—	—
सुरक्षा गार्ड	15	04	00	00	00
कुल संख्या	**18**	**05**	**00**	**00**	**00**

36–अ– सुरक्षा एजेन्सी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था लगातार शिफ्ट में **''राउण्ड–द–क्लाक''** की जायेगी तथा एजेन्सी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर के सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए जवाबदार रहेगी। एजेन्सी दुग्ध महासंघ परिसर में अवांछित व्यक्तियों के प्रवेश के रोकने, किसी प्रकार की चोरी ,धोखाधडी तथा सम्पत्ति की तोड–फोड से सुरक्षा प्रदान करेगी। यदि एजेन्सी की लापरवाही से ऐसी कोई घटना घटित होती है तो संघ को हुई क्षति की वसूली प्रबन्धन द्वारा एजेन्सी के देयक/ प्रतिपूर्ति राशि से की जायेगी।

ब– प्रबन्धन द्वारा दिये गये समय–सारिणी एवं निर्धारित स्थल पर एजेन्सी को सुरक्षा कर्मी पदस्थ करना अनिवार्य होगा।

स– इसी प्रकार दुग्ध महासंघ/प्लान्ट परिसर में आने–जाने वाले प्रत्येक सामान, वाहन तथा व्यक्तियों की प्रविष्टि एजेन्सी द्वारा निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर में रखी जायेगी। रिकार्ड रखने हेतु प्रबन्धन द्वारा एजेन्सी को उपयुक्त स्थान एवं स्टेशनरी इत्यादि प्रदाय की जायेगी एवं एजेन्सी द्वारा रखा जाने वाला रिकार्ड छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की सम्पत्ति रहेगी। जिसे ठेका समाप्ति के पश्चात समस्त रिकार्ड की सूची तैयार कर प्रशासन शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा।

द—एजेन्सी द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों को यूनिफार्म, जूते, रेनकोट इत्यादि आवश्यक रूप से प्रदान की जायेगी जिसका भुगतान एजेन्सी द्वारा ही किया जायेगा। सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी के समय यूनिफार्म/वर्दी में न पाये जाने पर उन्हे अनुपस्थित माना जायेगा।

37—एजेन्सी को कान्ट्रेक्ट लेबर रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन एक्ट के अन्तर्गत लाससेन्स प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा एवं एजेन्सी को कान्टेक्ट लेबर एक्ट, ई.पी.एफ. एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ई.एस.आई.सी., एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू होने वाले अन्य समस्त श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। संबंधित श्रम निरीक्षक/फैक्ट्री इंस्पेक्टर/ई.पी. एफ.निरीक्षक/ई.एस.आई.सी. निरीक्षक द्वारा समय–समय पर मांगे गये रिकार्ड का अवलोकन कराना अनिवार्य होगा। यदि एजेन्सी इन नियमों के अन्तर्गत के प्रावधानों का पालन करने में असफल रहती है तो ऐसी दशा में प्रधान

नियोक्ता होने के नाते प्रबन्धन द्वारा एजेन्सी पर की गई पेनाल्टी शासकीय खाते में जमा कर दी जायेगी जिसका एजेन्सी के देयक राशि/प्रतिभूति राशि से की जायेगी।

38– अ– एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा नियोजित कर्मी पूर्ण मुस्तैदी से एवं जागरूकता से कार्य संपादित करें तथा पूर्णतः अनुशासित रहे। एजेन्सी के कर्मचारियों की लापरवाही से दुग्ध महासंघ को आर्थिक क्षति होती है तो उसकी वसूली एजेन्सी से की जायेगी। इसी प्रकार कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी सजगता से न किये जाने की दशा में प्रबन्ध द्वारा उपरोक्त पेनाल्टी एजेन्सी पर की जायेगी। इस संबंध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

ब– एजेन्सी द्वारा असंतोषप्रद कार्य किये जाने पर अथवा अनुबन्ध की कंडिकाओं का उल्लंघन किये जाने पर अथवा लगातार लापरवाही पूर्वक कार्य किये जाने पर प्रबन्धन द्वारा प्रकरण के गुण–दोष को ध्यान में रखते हुए एजेन्सी की सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा एजेन्सी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जायेगी। इस संबंध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

39– किसी भी सुरक्षा कर्मी द्वारा उपरोक्त शर्तो की किसी कंडिका का उल्लंघन का दोषी पाया गया तो तत्काल संयंत्र परिसर में उसका प्रवेश दुग्ध महासंघ द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकेगा जो एजेन्सी पर बंधनकारी होगा।

40– संयंत्र एवं सम्पूर्ण परिसर में चोरी, उपद्रव, मारपीट, झगडा आदि कार्य किये जाने की दशा में तत्काल प्रबन्धन से सम्पर्क कर पुलिस थाने में एफ.आई.आर.दर्ज कराना एजेन्सी का दायित्व होगा।

41– यदि उभय पक्ष के मध्य कोई विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार रायपुर (छ0ग0) होगा।

42– एजेन्सी का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न न होने की दशा में, एजेन्सी के कर्मियों के वेतन भुगतान, पी.एफ.संबंधी लगातार शिकायतें प्राप्त होने पर प्रबन्धन किसी भी समय बिना कोई नोटिस के ठेका निरस्त कर सकता है एवं इस मद में दुग्ध महासंघ को हुई क्षति की वसूली पूर्ण रूप से अथवा अंशतः एजेन्सी के देयक/अमानत राशि से कर सकता है। इस संबंध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम एवं उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

43– संयंत्र परिसर मे मंदिरापान या अन्य किसी भी प्रकार का नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य मे लिप्त पाये जाने/अनुशासनहीनता करने, धरना प्रदर्शन, हड़ताल आदि करने पर संबंधित सुरक्षा कर्मि को पारिश्रमिक देय नही होगा तथा ऐसे सुरक्षा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से कार्य से हटाना होगा एवं सुरक्षा ठेकेदार के विरूद्ध रू. 1000/– प्रति सुरक्षा कर्मी अर्थदण्ड भी आरोपित किया जा सकेगा, जिसकी वसूली संघ द्वारा ठेकेदार के देयक मे से की जा सकेगी। दोषी पाये गये सुरक्षा कर्मियों को पुनः कार्य पर नही रखा जावेगा।

44– यदि ठेकेदार के सुरक्षा कर्मी की गलती से या असावधानी से दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या दुग्ध महासंघ की सम्पत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबूझ कर नुकसान करने आदि मे संलग्न पाये जाते है तो प्रबंधन पक्ष द्वारा क्षति की राशि का दो गुणा एवं चोरी की स्थिति मे सामग्री की राशि का 50 गुणा अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। उसकी वसूली ठेकेदार के देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध मे प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का निर्णय अंतिम होगा। ऐसे कार्य मे लिप्त सुरक्षा कर्मी को भविष्य मे कार्य पर नही लिया जा सकेगा।

==

अनुसूची–1

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत प्रस्तुत किया जावे।)

शपथ पत्र

मै..आयु............पिता/पति श्री ....निवासी.. ....मो0 नंबर....................................शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :–

1. मैं उपरोक्त दर्ज पते पर निवासरत हूँ।
2. मैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की निविदा क्रमांक 4195/छगदुमसं/प्रशासन/2023 उरला, दिनांक 19–01–2023 के नियम, शर्त एवं अनुबंध की कांडिकाओं पर सहमत होते हुये, सुरक्षा व्यवस्था संचालन हेतु निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ।
3. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा मुझे किसी भी कारण से कभी भी अपनी निविदाओं में भागीदारी से रोकने हेतु काली सूची में नही डाला गया है।
4. मुझे यह ज्ञात है कि यदि भविष्य में पाया गया कि मुझे कभी भी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा काली सूची में डाला गया है, तो मेरी निविदा स्वीकृति एवं कार्य प्रारंभ होने के बाद भी मेरी धरोहर/सुरक्षा राशि राजसात करते हुये जुर्माने के साथ निरस्त की जा सकती है।
5. यह शपथ पत्र मेरे द्वारा निविदा क्रमांक 4195/छगदुमसं/प्रशासन/2023 उरला, दिनांक 19–01–2023 के आवश्यक दस्तावेज के रूप में दिया जा रहा है।

हस्ताक्षर

शपथकर्ता

सत्यापन

मै.. पिता/पति श्री .... एतद् द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक 1 से 5 तक संपूर्ण कथन मेरी जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सत्य है। मेरे द्वारा यह शपथ पत्र स्वेच्छा एवं बिना किसी दबाव के गवाहों के समक्ष हस्ताक्षरित किया गया है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

गवाह

(1) हस्ताक्षर :..
नाम : ....
पता : ....
आधार क्रमांक :...................................
मो. नम्बरः ....

(2) हस्ताक्षर :.......................................
नाम : ....
पता : ....
आधार क्रमांक : ....
मो. नम्बरः ....

अनुसूची–2

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत प्रस्तुत किया जावे।)

शपथ पत्र

मै...आयु.............पिता/पति श्री ....निवासी...
....मो0 नंबर.....................................शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :–

1. मैं उपरोक्त दर्ज पते पर निवासरत हूँ।

2. मैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की निविदा क्रमांक 4195/छगदुमसं/प्रशासन/2023 उरला, दिनांक 19–01–2023 के नियम, शर्त एवं अनुबंध की कांडिकाओं पर सहमत होते हुये, सुरक्षा व्यवस्था संचालन हेतु निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ।

3. मेरे कोई भी निकट संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित में कार्यरत नहीं है।

4. मेरे कोई भी निकट संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित में माननीय संचालक सदस्य नहीं है।

5. मुझे यह ज्ञात है कि यदि भविष्य में पाया गया कि मेरे कोई निकट संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित में कार्यरत है, या इसके माननीय संचालक सदस्य हैं, तो मेरी निविदा स्वीकृति एवं कार्य प्रारंभ होने के बाद भी मेरी धरोहर/सुरक्षा राशि राजसात करते हुये जुर्माने के साथ निरस्त की जा सकती है।

6. यह शपथ पत्र मेरे द्वारा निविदा क्रमांक 4195/छगदुमसं/प्रशासन/2023 उरला, दिनांक 19–01–2023 के आवश्यक दस्तावेज के रूप में दिया जा रहा है।

हस्ताक्षर

शपथकर्ता

सत्यापन

मै... पिता/पति श्री .... एतद् द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक 1 से 6 तक संपूर्ण कथन मेरी जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सत्य है। मेरे द्वारा यह शपथ पत्र स्वेच्छा एवं बिना किसी दबाव के गवाहों के समक्ष हस्ताक्षरित किया गया है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

गवाह

(1) हस्ताक्षर :..	(2) हस्ताक्षर :.......................................
नाम :	नाम : ....
पता :	पता : ....
आधार क्रमांक :.....................................	आधार क्रमांक : ....
मो. नम्बरः	मो. नम्बरः ....